



बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प०नि०वि० यांत्रिक कर्मशाला परिसर (पटना हवाई अड्डा के नजदीक), शेखपुरा, पटना-800014
दूरभाष नं० - 0612-2226711, फ़ैक्स नं०- 0612-2226723

कार्यालय आदेश - 333

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० के विज्ञापन सं० - PR-735(N.N.) 11-12 एवं तदसंबंधी शुद्धिपत्र द्वारा विज्ञापित ऑफिस एग्जीक्यूटिव के पद पर निम्नांकित शर्तों एवं बन्धेजों के अधीन संविदा के आधार पर एकमुश्त मासिक परिलब्धि रू० 10,000/- (रूपये दस हजार) पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को दिनांक 11 सितंबर, 2012 से एक वर्ष के लिये बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० में नियोजित किया जाता है :-

क्र० सं०	चयनित अभ्यर्थियों का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्राचार का पता
1	श्री अनुपम अंशु	श्री प्रभात द्विवेदी	02.06.1983	श्री अनुपम अंशु पिता- श्री प्रभात द्विवेदी, ए/4, विवेकानंद पार्क, S-E पाटलीपुत्रा कॉलनी, पटना-800013 मोबाईल नं०-9570871718
2	श्री नंदकिशोर प्रभात	स्व० श्री उदित राम	20.06.1974	श्री नंदकिशोर प्रभात, पिता- स्व० श्री उदित राम, गाँव-धंधी, पोस्ट-बोरवल बगहा, पिन-845105, पश्चिमी चंपारण, बिहार मोबाईल नं०-9507113954
3	श्री आशीष कुमार	श्री वरुण कुमार सिंह	13.01.1978	श्री आशीष कुमार, पिता- श्री वरुण कुमार सिंह, सुमित्रा सदन, सराही रोड, नया बाजार, सहरसा, पिन-852201, बिहार मोबाईल नं०-9471992720
4	श्री ब्रजेश कुमार शर्मा	श्री गणेश शर्मा	20.01.1971	श्री ब्रजेश कुमार शर्मा, पिता- श्री गणेश शर्मा, द्वारा- विशुनदेव शर्मा, मो०- छोटी बाजार, मोगलपुरा, पोस्ट-झाउगंज, पटना-800008 मोबाईल नं०-9334187638
5	मो० शकील अहमद	मो० शमीम अहमद	15.11.1985	मो० शकील अहमद, पिता- मो० शमीम अहमद गंगोत्री आयरन एण्ड स्टील फ़ैक्टरी के सामने, प्रकाश नगर, खगौल रोड, फुलवारीशरीफ, पटना-801505 मोबाईल नं०-9334486170
6	श्री धर्मेन्द्र कुमार	श्री रणविजय प्रसाद सिंह	15.01.1987	श्री धर्मेन्द्र कुमार पिता- श्री रणविजय प्रसाद सिंह, इंद्र नगर, रोड नं०-9, न्यू पटना सेंद्रल स्कूल के नजदीक, बिग्रहपुर, पटना-800001 मोबाईल नं०-9006631226

1. यह नियोजन स्थायी रूप से सृजित पदों के विरुद्ध अधिकतम एक वर्ष के लिये है, जिसमें प्रथम 3 महीना परीक्ष्यमान अवधि होगी इस अवधि में कार्यक्षमता, दक्षता तथा सामान्य व्यवहार संतोषजनक पाये जाने पर ही अगले नौ महीने का नियोजन विस्तारित किया जा सकेगा।
2. यदि संविदा के अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जाता है तो यह नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके लिये कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजित अभ्यर्थी सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा अनुमान्य नहीं होगा।

